भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4401
दिनांक 27 मार्च, 2025

प्रधानमंत्री जी-वन योजना

†4401. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी-वन (जेआईवीएएन) योजना के लिए बजट में वृद्धि से प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और प्रगति पर कैसे नजर रखी जाएगी तथा किस प्रकार रिपोर्ट किया जाएगा;

(ख) क्या जैव ईंधन को बढ़ावा देने तथा तेल आयात को कम करने पर केंद्रित योजनाएं सरकार की समग्र ऊर्जा रणनीति के अनुरूप हैं और क्या इससे कृषि क्षेत्र तथा अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसंधान, कच्चे माल की खरीद तथा परियोजना डेवलपर्स के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवंटित भाग सहित निधि आवंटन संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही इसका कितना उपयोग किया गया है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): सरकार कई प्रयोजनों के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को प्रोत्साहित कर रही है। हरित ऊर्जा के रूप में एथेनॉल सरकार के पर्यावरण सम्बन्धी संधारणीय प्रयासों का समर्थन करती है। यह विदेशी विनिमय की बचत करने के साथ कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम करती है और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देती है।

ईबीपी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 से जनवरी, 2025 तक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का शीघ्र भुगतान हुआ है, इसके अलावा 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी विनिमय की बचत हुई है, लगभग 626 लाख मीट्रिक टन निवल सीओ2 में कमी आई है और 200 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है।

इसके अलावा, एथेनॉल उत्पादन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" को वर्ष 2019 में अधिसूचित किया, वर्ष 2024 में यथासंशोधित, जिसका उद्देश्य लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना करना, किसानों को उनकी अन्यथा बेकार कृषि अवशेषों के लिए लाभकारी आय प्रदान करना, ग्रामीण और शहरी रोजगार के अवसर सृजित करना, बायोमास/कृषि

अवशेषों के जलने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की चिंताओं को दूर करना, नगर निगम के ठोस कचरे से मृदा और पानी के प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देना, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना, आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना में परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत कार्य तंत्र की रूपरेखा दी गई है, जिसे ट्रैक और रिपोर्ट किया जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) की वैज्ञानिक सलाहकार समिति, योजना के तहत पात्र परियोजनाओं की सिफारिश करने संबंधित नोडल निकाय है और उच्च प्रोद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) एमओपीएनजी के अधीन एक निकाय, नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के तहत सीएचटी की स्टीयरिंग समिति द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी जाती है। परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जा सके।

प्रधानमंत्री जी-वन का कुल वित्तीय परिव्यय 1,969.50 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,800 करोड़ रुपये वाणिज्यिक स्तर की उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए और 150 करोड़ रुपये प्रदर्शन-स्तर की उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। परियोजना की कुल लागत में अन्य बातों के साथ-साथ बायोमास आपूर्ति श्रृंखला और हैंडलिंग, प्रौद्योगिकी शुल्क, कुल उपकरणों की लागत आदि शामिल हैं। संशोधित योजना को पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2023-24 से 2028-29 तक के लिए बढ़ा दिया गया है जिसमें पात्रता का विस्तार "बोल्ट-ऑन" संयंत्रों और "ब्राउनफील्ड परियोजनाओं" को शामिल करने के लिए किया गया है तथा "2जी एथेनॉल" को उन्नत जैव ईंधनों से प्रतिस्थापित किया गया है।

*****